कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, वकास भवन अल्मोड़ा

सूचना सं0 -01/एंग्लिंग/2020-21 दिनांक: 30.01.2021

जनपद अल्मोड़ा में चह्नित 10 बीटों में 03 वर्ष हेतु एंग्लिग के पर मट प्रदान करने के लए स्थानीय स्तर पर गठित ऐसे महिला मंगल दल/नवयुवक मंगल दल , स्वयं सहायता समूह, मत्स्य जीवी सहकारी स मतियां आदि जो मात्स्यिकी कार्य में अनुभव रखते हो से सील बन्द आवेदन दिनांक 11.02.2021 को सांय 05.00 बजे तक आमंत्रित कये जाते है। आवेदन प्रपत्र कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य ,अल्मोड़ा के वकास भवन स्थित कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कए जा सकते है अथवा **almora.nic.in** से डाउनलोड कए जा सकते है। भरे हुये आवेदन पत्र रजिस्ट्रार्ड/स्पीड पोस्ट से अथवा कार्यालय में दस्ती प्राप्त कराये जा सकते है। कसी भी जानकारी हेतु दूरभाष 6397632594 पर कसी भी कार्यालय दिवस पर सम्पर्क कया जा सकता है।

नदियों में चन्ह्ति बीटो का ववरण

क्र0 स0	बीट संख्या	नदी का नाम	बीट का नाम	बीट की लम्बाई	निधार्रित मूल्य (रू0 में)
01	**01**	रामगंगा	खीडा़ में जुगयाडी गधेरा के संगम से अमस्यारी में रामगंगा एवं तड़ाग गधेरे के संगम तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
02	**02**	रामगंगा	चादीखेत में नेगाड एवं खचार गधेरे के संगम से पुराना डाग तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
03	03	रामगंगा	मासी में रामंगगा एवं बाढज्यू गधेरे के संगम से केदार में रामगंगा बिनों नदी के संगम तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
04	04	रामगंगा	केदार में बिनों नदी के संगम से सनड़ा तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
05	05	रामगंगा	नौला से भक्यासैण में गगास नदी के संगम तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
06	07	कोसी	साई नदी के संगम से मत्स्य प्रक्षेत्र मनान तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
07	08	कोसी	मत्स्य प्रक्षेत्र मनान से ग्वालकोट तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
08	09	कोसी	दा डमखोला से कमलेश्वर मन्दिर तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
09	10	कोसी	कमलेश्वर मन्दिर से महतगाव में नान कोसी के संगम तक	4.00 क0मी0	रू0 5000/-
10	11	कोसी	कोसी पुल से कोसी बैराज तक	1.50 क0मी0	रू0 5000/-

प्रपत्र प्राप्त करने की ति थ- 01.02.2021

प्रपत्र जमा करने की अन्तिम ति थ- 11.02.2021

लाटरी खुलने की ति थ समय एवं स्थान- 12.02.2021 प्रातः 11:00 बजे कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, वकास भवन, अल्मोड़ा

कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, वकास भवन अल्मोड़ा

सूचना सं0 -01 /एंग्लिंग/2020-21 दिनांक: 30.01.2021

1- लाटरी के माध्यम से जनपद की निम्न नदियों में चन्हित बीटो को 03 वर्षीय ठेके आधार पर आवंटित कया जायेगा।

नदियों में चन्हित बीटो का ववरण

क्र0 स0	बीट संख्या	नदी का नाम	बीट का नाम	बीट की लम्बाई	निधार्रित मूल्य (रू0 में)
01	**01**	रामगंगा	खीड़ा में जुगयाडी गधेरा के संगम से अमस्यारी में रामगंगा एवं तड़ाग गधेरे के संगम तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
02	**02**	रामगंगा	चादीखेत में नेगाड एवं खचार गधेरे के संगम से पुराना डाग तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
03	03	रामगंगा	मासी में रामंगगा एवं बाढज्यू गधेरे के संगम से केदार में रामगंगा बिनों नदी के संगम तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
04	04	रामगंगा	केदार में बिनों नदी के संगम से सनड़ा तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
05	05	रामगंगा	नौला से भक्यासैण में गगास नदी के संगम तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
06	07	कोसी	साई नदी के संगम से मत्स्य प्रक्षेत्र मनान तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
07	08	कोसी	मत्स्य प्रक्षेत्र मनान से ग्वालकोट तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
08	09	कोसी	दा डमखोला से कमलेश्वर मन्दिर तक	05.00 क0मी0	रू0 5000/-
09	10	कोसी	कमलेश्वर मन्दिर से महतगाव में नान कोसी के संगम तक	4.00 क0मी0	रू0 5000/-
10	11	कोसी	कोसी पुल से कोसी बैराज तक	1.50 क0मी0	रू0 5000/-

प्रपत्र-(क)

आवेदन पत्र निशुल्क

कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, वकास भवन, अल्मोड़ा।

जनपद्र.....स्थित.....नदी के बीट.....से .....
तक के बीट आंवटन आवेदन हेतु सहमति पत्र
महोदय,

मैने/हमने जनपद की निम्ना कत नदी में चहिन्त बीट के आंवटन हेतु आवेदन प्रपत्र की संलग्न सभी शर्तो को पढ़ लया है व भली-भाति समझ लया है। मुझे/हमें सभी शर्ते स्वीकार है बीट आंवटन की स्वीकृति सूचना मलने पर दो सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रपत्र करने को तैयार हुं/है और आवेदन प्रपत्र में निर्धारित बयाने की धनरा श का डमान्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर दी है। बीट आवंटन की स्वीकृति पर मैं/हम समस्त औपचारिकतायें पूर्ण निर्धारित अव ध में अनुबन्ध पूर्ण कर सम्बन्धित बीट में एंग्लिग लाईसेन्स की अनुमति आदेश प्राप्त करने हेतु बाध्य होगा/होगें।

क्र0 स0	नदी/बीट का नाम	एक बीट हेतु आर क्षत धनरा श(रू0 में)	बयाने की धनरा श (आर क्षत धनरा श का 10 प्रतिशत रू0 में)	आवेदनकर्ता द्वारा बीट के लए प्रस्तुत वा र्षक धनरा श
01	नदी..... जोन..... बीट.....से..... .....तक	रू0 5000.00 (रूपये पांच हजार) मात्र	रू0 5000.00 (रूपये पांच हजार) मात्र	रू0.....

उपरोक्त बीट हेतु आवंटन प्रपत्र निशुल्क प्राप्त करते हुए मेरे द्वारा बयाने की धनरा श रू0 500.00 का बैक ड्राफ्ट/डमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न कया जा रहा है। जिसका नम्बर.....जमा कया गया है।

1- आवेदनकर्ता का नाम-.....

2- आवेदनकर्ता का पुरा पता नोटरी द्वारा
प्रमा णत.....
.....
.....

3- आवेनदनकर्ता/संस्था के कसी व्यक्ति का पहचान पत्र (राशन कार्ड/चुनाव आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र/वाहन चालन अनुज्ञा/आधार कार्ड/आयकर खाता संख्या प्रमाण पत्र)

4- आवेदन के साथ अनिवार्यता रू0 100 के स्टाम्प पेपर (अनुबन्धित)

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक

2- जनपद में वद्यमान महाशीर जोन की जलधाराओं में जनसहभा गता से इकोटूरिज्म को बढावा देने वाले एग्लिंग कार्यक्रम अन्तर्गत बीट आवंटन स्थानीय रूप से गठित महिला मंगल दल , युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य जीवी सहकारी स मति एवं स्थानीय स्तर पर अन्य प्रा वधानो के तहत गठित स मतियां/सोसाईटी आदि को पात्रता एवं लाटरी के आधार से ही बीट आवंटित कया जायेगा। कार्य के सन्दर्भ में स्पष्ट कया जाता है क बीट आवंटन होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा चन्हित बीट अन्तर्गत देशी एवं वदेशी पर्यटको के साथ-साथ स्थानीय व्यक्तियों को निर्धारित धनरा श पर एग्लिंग लाईसेंस निर्गत कये जायेंगे।

3- आवेदनकर्ता को वर्ष 2020-21 हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत कये जाने होंगे , जिनके आधार पर कुल तीन वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 (30 जून 2023) तक अव ध हेतु पर मट स्वीकृत कया जायेगा।

4- सम्बन्धित आवेदनकर्ता आवेदन कये जाने वाले बीट के आसपास का होना अनिवार्य है।

5- आवेदनकर्ता को अपने आवेदन सील बन्द लफाफे के अन्दर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से सहायक निदेशक मत्स्य , वकास भवन, अल्मोड़ा के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने होंगे , अथवा आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित होकर सहायक निदेशक मत्स्य , वकास भवन, अल्मोड़ा के कार्यालय में रखी गयी लाटरी पेटी में भी आवेदन जमा कर सकते है।

6- लाटरी के माध्यम से बीटो की आवंटन कार्यवाही शासन द्वारा गठित स मति के द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य, वकास भवन, अल्मोड़ा के कार्यालय में सम्पादिन की जायेगी। स मति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

7- आवेदनकर्ता को आवेदन वाले लफाफे पर प्रथम पंक्ति पर ''लाटरी के आधार पर बीट आवंटन हेतु आवेदन'' द् वतीय पंक्ति पर सम्बन्धित "बीट संख्या एवं नदी का नाम'' अं कत कया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं कये जायेंगे। डाक वभाग द्वारा वलम्ब से उपलब्ध करायी गयी डाक हेतु मत्स्य वभाग , अल्मोड़ा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोरियर के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र पर कोई वचार नहीं कया जायेगा।

8- लाटरी आधार से बीट आवंटन प्र क्रया हेतु आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं को आवेदन के समय (आवेदन वाले लफाफे के अन्दर) निम्न अ भलेख उपलब्ध कराये जाने होंगे।

1- सहमति हेतु सहमति पत्र (प्रपत्र क के अनुसार)

2- बीट आवंटन हेतु बयाने की धनरा श रू0 500.00 (रूपये पाच सौ मात्र) का डमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो कसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत हो एवं सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य के पक्ष में निर्गत हो।

3- गतवर्ष में लाभ-हानि के खाते की प्रमा णत प्रति एवं स मति/संस्था की आद्यतन वत्तीय स्थिति।

4- पर्यावरणीय कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा ववरण।

5- जनसहभा गता से कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं ववरण।

6- सामाजिक कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र एवं ववरण।

7- संस्था गठन के उपरान्त संस्था द्वारा कये गये सन्तोषजनक कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र एवं ववरण।

8- मत्स्य पालन में प्र शक्षण एवं मछ लयों की जानकारी के साथ-साथ आदि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं ववरण।

9- रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर (अनुबन्धित) प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न कया जाना अनिवार्य होगा।

9- लाटरी बीट आवंटन प्र क्रया में संस्थाओं को निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी-

1- पर्यावरणीय कार्यो का अनुभव।
2- जनसहभा गता से कार्य करने का अनुभव।
3- सामाजिक कार्यो का अनुभव।
4- संस्था गठन के उपरान्त संस्था द्वारा कये गये सन्तोष जनक कार्यो का अनुभव।
5- मत्स्य पालन में प्र शक्षण एवं मछ लयों की जानकारी आदि का अनुभव।

10- बीट आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनो को उपरोक्त शर्त संख्या 8 एवं 9 में निर्धारित पात्रता/ वरीयता के आधार पर सूचीवद्ध कर बीट आवंटन हेतु लाटरी प्र क्रया में भाग लेने हेतु गठित स मति द्वारा चयनित कया जायेगा।

11- एग्लिंग कार्य हेतु बीट आवंटन की अव ध तीन वर्ष होगी , तथा अव ध की गणना 01 जुलाई से 30 जून तक की अव ध को सम लत कर की जायेगी। प्रथम वर्ष की अव ध स्वीकृत की दिनांक से प्रारम्भ होकर 30 जून तक मानी जायेगी।

12- प्रत्येक बीट हेतु रू0 5000.00 का आर क्षत मूल्य निर्धारित कया गया है। आवेदनकर्ता आर क्षत मूल्य से अ धक की धनरा श भी प्रस्तुत कर सकता है। सफल आवेदनकर्ता को स्वीकृत बीट में स्वीकृत वा र्षक धनरा श के अनुसार ही धनरा श जमा की जानी होगी।

13- सस्थाओं को सूचीवद्ध कये जाने एवं लाटरी प्र क्रया शासन द्वारा गठित स मति द्वारा सम्पादित की जायेगी। जिस पर स मति का निर्णय अन्तिम होगा।

14- सफल आवेदनकर्ता/संस्था को स्वीकृति के दिनांक से अ धकतम दो सप्ताह के भीतर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

15- कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार स्टाम्प पंजीकरण अ धनियम के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी संदत की जायेगी तथा तद्नुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित कया जायेगा। अनुबन्ध पत्र आवेदनकर्ता व सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा निष्पादित कया जायेगा।

16- आवेदन के समय आवेदनकर्ता को आर क्षत मूल्य का 10 प्रतिशत अ ग्रम धनरा श एफ0डी0आर0/ एन0एस0सी0 जो क सहायक निदेशक मत्स्य के पक्ष में बन्धक हो के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। तथा सफल आवेदनकर्ता को आर क्षत धनरा श की शेष 90 प्रतिशत धनरा श अनुबन्ध कये जाने से पूर्व जमा की जानी होगी। शेष 90 प्रतिशत धनरा श जमा न कर पाने की दशा में अ ग्रम की धनरा श जब्त कर जी जायेगी। सफल आवेदनकर्ता द्वारा तीन वर्षो की कुल आर क्षत धनरा श की 20 प्रतिशत जमानत धनरा श सहायक निदेशक मत्स्य के प़क्ष में एन0एस0सी0 या एफ0डी0आर0 के माध्यम से अनुबन्ध प्रमाण पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। और अन्यथा की स्थिति में आवेदन को निरस्त करने का सम्पूर्ण अ धकार सहायक निदेशक मत्स्य में निहित होगा।

क्रमश- 02

17- यदि निर्धारित समयाव ध में सफल आवेदनकर्ता द्वारा स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष अवशेष धनरा श एवं धरोहर धनरा श जमा करते हुए अनुबन्ध नहीं कया जाता है तो बयाने की धनरा श जब्त कर ली जायंगी। एवं बीट आवंटन की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

18- बीट आवंटन ठेके के द् वतीय एवं तृतीय वर्ष में कार्यदायी संस्था को 30 जून से पूर्व बीट की स्वीकृत धनरा श जमा की जानी होगी, तदोपरान्त ही द् वतीय एवं तृतीय वर्ष में एग्लिंग पर मट निर्गत कये जाने की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।

19- प्रथम वर्ष में अनुवन्ध पत्र पूर्णरूपेण निष्पादित होने के उपरान्त सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा सफल आवेदनकर्ता को सम्बन्धित बीट में एग्लिंग लाईसेंस निर्गत कये जाने की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी। द् वतीय एवं तृतीय वर्ष में निर्धारित धनरा श ससमय जमा होने के उपरान्त ही एग्लिंग लाईसेंस निर्गत कये जाने की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।

20- यदि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित कस्ते जमा नही की जाती है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीकृत बैंक में जमा धरोहर धनरा श से उक्त लम्बित कश्त का समायोजन कश्त जमा करने हेतु निर्धारित ति थ से अगले दिन और अगले दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके ठीक अगले दिन प्रत्येक दशा में जमा कया जायेगा।

21- कार्यदायी सस्था को अनुबन्ध के अनुसार पूरे तीन वर्षो तक ठेका चलाना होगा। ठेके की अव ध समाप्त होने के छः माह उपरान्त जमानत धनरा श वा पस की जायेगी। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा मध्य में ही ठेका छोड़ दिया जाता है तो जमानत धनरा श जब्त कर ली जायेगी। और यदि जमानत धनरा श जब्त करने के उपरान्त भी कार्यदायी संस्था पर ठेके की देय धनरा श अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान कार्यदायी सस्था द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य के नामे राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा धरोहर धनरा श में से समायोजित कर लया जायेगा।

22- यदि कसी कार्यदायी संस्था पर ठेके से सम्बन्धित कोई धनरा श बकाया रह जाती है तो उक्त धनरा श को भू-राजस्व के समान वसूली का अ धकार प्रशासनिक वभाग का होगा। पूर्व में मत्स्य वभाग अल्मोड़ा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्य कर चुके ऐसे कार्यदायी संस्था जिनके द्वारा अपनी कार्य अव ध के दौरान वभागीय शर्तो का उल्लंघन कया गया हो अथवा जिन पर वभागीय देय धनरा श बकाया हो बीट आवंटन प्र क्रया में भाग लेने के पात्र नही होंगे।

23- एग्लिंग कार्यक्रम से जनपद मे पर्यटन को बढावा मले इस हेतु कार्यदायी संस्था देशी/वदेशी पर्यटको/बीट के आस पास के स्थानीय व्यक्तियों हेतु एग्लिंग पर मट दरें निम्न ता लका के अनुसार निर्धारित हैं। कार्यदायी संस्था आवश्यकता अनुसार निर्धारित दर से अ धक दरों पर देशी एवं वदेशी पर्यटको को पर मट निर्गत कर सकता है। परन्तु रोजगार की दृष्टि से स्थानीय व्यक्ति हेतु निर्धारित दर को उत्तराखण्ड शासन/मत्स्य वभाग की अनुमति के बिना परिवर्तित नही कया जा सकेगा।

क्र0सं0	एग्लर्स का ववरण	एग्लिंग पर मट निर्गत कये जाने हेतु निर्धारित दरें (प्रति एग्लिंग पर मट) महाशीर जोन
01	देशी पर्यटक	रू0 75/-
02	वदेशी पर्यटक	रू0 150/-
03	रोजगार की दृष्टि से स्थानीय व्यक्ति	रू0 20/-

स्थानीय व्यक्ति का तात्पर्य- बीट के आस पास के क्षेत्र ऐसे व्यक्ति जो पूर्व से मछली पकड़ने का कार्य करतें है तथा मछली ही जिनकी आजी वका है।

24- प्रत्येक दिवस पर एग्लिंग कार्य की अनुमति सुर्योदय (प्रातः 8.00 बजे) से सूर्यास्त (सायकाल 05.00 बजे तक) तक ही अनुमान्य होगी।

25- कार्यदायी संस्था द्वारा एग्लिंग कार्य हेतु केवल निर्धारित एग्लिंग रोड का ही उपयोग कया जायेगा। यदि महाशीर मछली क्रमशः पाच सौ ग्राम निर्धारित वजन से कम वजन की पकड़ी जाती है तो उसे पुनः जलधारा में छोड़ना होगा। जिससे क मत्स्य संरक्षण एव संवर्धन को इसी प्रकार से क्षति न पहुचे।

26- महाशीर बीट के अन्तर्गत कसी भी दशा में जाल का उपयोग कया जाना वर्जित होगा।

27- महाशीर जलक्षेत्र के संगम से सामान्य जलक्षेत्र के एक कलोमीटर के वहाव व एक कलोमीटर की वहाव की वपरीत दिशा में जाल आदि से मत्स्य आखेट का कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।

28- सम्बन्धित जनपदीय अ धकारी/बीट प्रभारी द्वारा एग्लिंग से पकड़ी गयी मछ लयों की संख्या एवं जारी कये गये एग्लिंग पर मट एवं एग्लिंग पर मट हेतु प्राप्त कये गये मूल्य का ववरण प्रत्येक दिवस के लये अनुर क्षत कया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था को वभागीय अ धकारियों को सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करानी होगी।

29- ठेके की अव ध में बीट व उसके आस पास के वातावरण की एग्लर्स एवं उनके सहयो गयों तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कोई क्षति नहीं पहुचायी जायेगी तथा मछ लयों के अतिरिक्त अन्य जल जीवो को भी कोई क्षति नहीं पहुचायी जायेगी। यह दायित्व सम्बन्धित बीट के कार्यदायी संस्था एवं प्रभारी का होगा।

30- यदि कार्यदायी संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन कया जाता है तो तत्काल रूप से आवंटित बीट को निरस्त कर दिया जायेगा।

31- कार्यदायी संस्था द्वारा आवंटित बीट में पन्द्रह हजार महाशीर मत्स्य बीज प्रति कलोमीटर की दर से प्रतिवर्ष वभाग के अ धकारी के समक्ष संचय कया जायेगा। सं चत मत्स्य बीज का मूल्य तथा यातायात व्यय प्रति वर्ष सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा जमा कया जायेगा।

32- मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु आवंटित कार्यक्षेत्र में वर्षा ऋतु के उपरान्त नदी का जल स्तर घटने पर उसके छुड़ानों में फंसी हुई छोटी मछ लयो को कार्यदायी संस्था द्वारा पकड़ कर मुख्य जलधारा में सं चत करना होगा।

33- सं वदा अव ध समाप्त होने के पश्चात जमानत धनरा श वा पस की जायेगी। यदि स वदा अव ध में कार्यदायी संस्था द्वारा नदियों की सम्पति को कोई हानी पहुचायी जाती है अथवा इस अनुबन्ध की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित नही कया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति/कटौति जमानत धनरा श से की जायेगी। यदि सम्पति को पहुचायी गयी हानी की धनरा श जमानत धनरा श से कटौति के उपरान्त भी अवशेष रहती है तो उसे कार्यदायी संस्था से द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीकृत बैंक में जमा धरोहर धनरा श से समायोजित कया जायेगा।

34- एंग्लिंग कार्य निर्धारित बीट के क्षेत्रफल तक ही कये जा सकेंगे।

35- कार्यदायी संस्था और उसके प्रतिनि ध बीट के आसपास की कसी भी सरकारी/निजी सम्पति को कोई क्षति नहीं पहुचायेंगे। तथा इस सम्बन्ध में वभागीय अ धकारियो के आदेश स्वीकार्य होंगे।

36- वर्षा ऋतु के दौरान जब मुख्य नदी का जलस्तर बढ़कर उसका पानी गन्दा हो जाता है तो ऐसे समय में मछ लयां मुख्य जलधारा को छोड़कर साफ पानी वाली छोटी जलधाराओं में चली जाती है , इस अव ध में इस प्रकार की जलधाराओं के आसपास कसी भी प्रकार का मत्स्य आखेट नियम 12 के उप नियम 12 के परन्तुक को छोडेकर प्रतिबन्धित होगा।

37- महाशीर बीटों में एंग्लिग कार्यक्रम निम्न अव ध में प्रति वर्ष पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

महाशीर जोन- 01 जुलाई से 30 सतम्बर

अन्य जोन - 01 जुलाई से 30 सतम्बर

प्रजनन काल की अव ध में कार्यदायी संस्था द्वारा आवंटित बीट एवं उसमे समाहित होने वाली जलधाराओं में महाशीर प्रजाति क मछ लयो का संरक्षण (शर्त सख्या 36 के अनुसार) कार्य कया जाना अनिवार्य होगा। यदि मत्स्य सम्पदा के सरक्षण एवं संवर्धन के कार्य में कार्यदायी संस्था में कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो बीट आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

38- इसके उल्लघन करने पर उत्तराखण्ड मत्स्य अ धनियम 2003 के सुसंगत धाराओं के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

39- उत्तराखण्ड शासन/निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था या उसके प्रतिनि ध द्वारा सुनिश्चित कया जायेगा। कसी भी शर्तो प्रतिबन्धो के उल्लघन की दशा में सं वदा समाप्त मानते हुए एग्लिंग कार्य तत्काल बन्द कर दिये जायेगे। और उक्त अव ध की ठेके की धनरा श की कस्त यदि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के नामे राष्ट्रीकृत बैंक में जमा धरोहर धनरा श से समयोजित कर लया जायेगा।

40- ठेके से सम्बन्धित कोई भी बकाया धनरा श भूराजस्व के बकाये की तरह वसूल की जा सकेगी।

41- शासन/मत्स्य वभाग द्वारा अ धकृत अ धकारी/कर्मचारी कार्यदायी संस्था द्वारा एग्लिंग रोड से की गयी शकारमाही मछली की जाच कसी भी स्थान पर कर सकते है। सन्देह एवं असन्तोषजनक स्थिति में एग्लिंग रोड तत्काल जब्ज की जायेगी। तथा कार्यदायी संस्था के वरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जा सकेगी। एग्लिंग कार्य में कसी भी प्रकार की अनिय मतताओं के लये सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पर रू0 5000.00 की धनरा श का जूर्माना एक समय में कया जा सकता है।

42- वभाग द्वारा प्रायो गक शकारमाही करने में कार्यदायी संस्था को कोई आप त्त नही हेागी। मत्स्य उत्पादन हेतु वभाग द्वारा शीत संरक्षण पोस्टहार्वेस्टिंग व अन्य वैज्ञानिक व धयों से मत्स्य उत्पादन ,संरक्षण, कैनिंग, बूरडर कलैक्शन इत्यादि अवस्थापनायें स्था पत करने हेतु कार्यदायी संस्था को पूर्ण सहयोग करना होगा।

43- कार्यदायी संस्था यदि कसी कारणवश एग्लिंग कार्य को बन्द करना चाहता है तो उसकी सूचना न्यूनतम तीन दिवस पूर्व सहायक निदेशक मत्स्य को देनी अनिवार्य होगी।

44- कार्यदायी संस्था को गतवर्ष में लाभहानि के खाते प्रमा णत प्रति ल प स मति की वत्तीय स्थिति स मति द्वारा शर्तनामा भरने धनरा श जमा करने अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने तथा वभाग से पत्राचार करने हेतु अ धकृत व्यक्ति/पदा धकारी के सम्बन्ध में स मति की बैठक के तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर उसकी प्रमा णत प्रति उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। तथा संस्था द्वारा दो-दो प्रतिनि धयों के नामो का प्रस्ताव फोटो सहित सत्या पत कर प्रस्तुत की जायेगी।

45- इस प्रपत्र. में उल्लि खत उपरोक्त सभी शर्ते अनुबन्ध का भाग समझी जायेंगी।

46- मत्स्य आखेट हेतु उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली 2013 का अक्षरशः अनुपालन कया जायेगा। जो क नियामवली में दिये गये प्रतिबन्धो के अधीन होगा।

47- ठेके सम्बन्ध में कसी भी प्रकार का ववाद उत्पन्न होने की दशा में मामला शासन द्वारा नियुक्त मध्यस्थ जो क अपर स चव स्तर से अनिम्न अ धकारी होगा , को सन्द र्भत कया जायेगा , मध्यस्थ की नियुक्ति शासन द्वारा आर्बिटेशन एण्ड कन्सी लयेशन एक्ट 1996 के प्रा वधानो तहत की जायेगी तथा कसी भी प्रकार के ववाद हेतु न्याय क्षेत्र अल्मोड़ा होगा।